न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–36/2024/223 आर.टी.एक्ट (2024/36)

श्री राजस्थान चीता मेहरात (काठात) महासभा, ब्यावर (पंजीकृत संस्थान पंजीकरण संख्या 361/2001) जरिएः–

1. रमेश काठात पुत्र श्री बाबू काठात निवासी गुवारडी तहसील मसूदा वर्तमान अध्यक्ष।
2. इब्राहिम काठात पुत्र सफी मोहम्मद काठात निवासी रूपनगर तहसील ब्यावर जिला ब्यावर वर्तमान सचिव।

अपीलांट्स

बनाम

1. मांगू काठात पुत्र बहादुर काठात जाति मेहरात निवासी ग्राम शेखावस तहसील जिला राजसमन्द। पूर्व अध्यक्ष श्री राजस्थान चीता मेहरात (काठात) महासभा, ब्यावर (पंजीकृत संस्थान पंजीकरण संख्या 361/2001)
2. भंवर बहादुर चीता पुत्र अब्दुल रहमान चीता निवासी गांव कंकलावा तहसील व जिला अजमेर पूर्व उपाध्यक्ष श्री राजस्थान चीता मेहरात (काठात) महासभा, ब्यावर (पंजीकृत संस्थान पंजीकरण संख्या 361/2001)
3. पीरू काठात पुत्र लाडूजी काठात जाति मेहरात निवासी जालिया प्रथम तहसील ब्यावर जिला अजमेर। पूर्व सचिव श्री राजस्थान चीता मेहरात (काठात) महासभा, ब्यावर (पंजीकृत संस्थान पंजीकरण संख्या 361/2001)
4. हुसैन काठात पुत्र रहमान काठात जाति मेहरात निवासी ग्राम बाडिया भाउ तहसील ब्यावर जिला अजमेर। पूर्व कोषाध्यक्ष श्री राजस्थान चीता मेहराज (काठात) महासभा, ब्यावर (पंजीकृत संस्थान पंजीकरण संख्या 361/2001)
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार ब्यावर, जिला ब्यावर।

रेस्पोडेंट्स

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 28.08.2023 न्यायालय सहायक कलक्टर, ब्यावर राजस्व वाद संख्या 50/2023.

उपस्थितः–

1. श्री सलमान खान अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री आमीन काठात अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4
3. श्री विकास पराशर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 5.

निर्णय

दिनांकः–09.04.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 50/2023 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.08.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट वादी संस्थान श्री राजस्थान चीता मेहरात (काठात) महासभा मु0 ब्यावर ने एक वाद न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर.

Scanned with CamScanner

उपखण्ड अधिकारी, एवं सहायक जिलाधीश ब्यावर के समक्ष बाबत घोषणा खातेदारी एवं रिकार्ड दुरूस्ती का अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। वाद–पत्र का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने इकबाली जवाब पेश किया तथा यह स्पष्ट रूप से अंकित किया कि वादी संस्था ने ही उपरोक्त भूमि जरिए पंजीबद्ध विक्रय पत्र से खरीद की है तथा वादी संस्था के फण्ड से भूमि खरीद की है तथा यह भी अंकित किया कि वादी संस्था के वर्तमान पदाधिकारी श्री रमेश काठात सचिव है तथा प्रतिवादीगण पूर्व की कार्यकारिणी के पदाधिकारी है तथा उपरोक्त आराजी वादी संस्था की है, हम प्रतिवादीगण का कोई निजी अधिकार नहीं है। इसलिए वाद डिक्री किए जाने में हमे कोई एतराज नहीं है। इसलिए वाद डिक्री किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.8.2023 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 50/2023 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.08.2023 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पूर्व में कोई जानकारी नही थी, क्यो कि प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थीगण को कह रखा था कि यह राजस्व मामले है तुम्हे हर पेशी पर आने की जरूरत नहीं है जब भी कोई सूचना देनी होगी सूचित कर दिया जाएगा। लेकिन जब काफी समय से वाद के बाबत कोई सूचना नही आई तो प्रार्थीगण अपने अधिवक्ता से मिले तथा प्रकरण की जानकारी की तो प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बताया कि तुम्हारा दावा तो खारिज हो चुका है अब इस निर्णय की अपील करनी होगी तब प्रार्थीगण ने अपने अधिवक्ता को निर्णय की नकल लेने हेतु निवेदन किया जिस पर नकल हेतु दिनांक 1–2–2024 को नकल हेतु आवेदन करवाया जो उसी दिन प्राप्त हुई जिसे लेकर समाज में बैठ कर आपसी सलहा मशवरा कर दिनांक 12–2–2024 को प्रार्थीगण अजमेर आए तथा अपना अधिवक्ता नियुक्त कर यह अपील प्रस्तुत करवाई है जिसमें जानबूझ कर कोई देरी नहीं की है बल्कि जो देरी हुई है वह जानकारी के अभाव में हुई है जिसे क्षमा किया जाना न्यायिक एवं आवश्यक है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण कर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 में किए गए कथन सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत होते हैं। न्यायहित में प्रार्थी का धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना उचित समझते हैं।

न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2002(1) के अनुसार परिसीमा अधिनियम 1963– धारा–5 विलम्ब का उपशमन–विलम्ब, उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए–यदि मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि उपरोक्त वर्णित आराजी वादी संस्था के फण्ड से खरीदी गई भूमि है। चूंकि तत्कालीन समय में वादी संस्था की ओर से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 पदाधिकारी थे जिन्होंने वादी संस्था के हक में उपरोक्त भूमि खरीद कर वादी संस्था के नाम ही दर्ज करवाई जो जमाबंदी संवत 2061–64 में दर्ज भी है। चूंकि उपरोक्त भूमि खरीद किये जाने के पश्चात नामान्तरण संख्या 909 दिनांक 27.10.2007 को वादी संस्था जरिये उनके पदाधिकारी प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के नाम खोला गया। जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त भूमि वादी संस्था की भूमि है जो किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के नाम दर्ज नही की जा सकती। परन्तु जमाबन्दी सम्वत 2072–75 में उपरोक्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 01 लगा0 04 के नाम 1/4–1/4 के रूप में गलत दर्ज कर दिया। जिसके बाबत वाद डिक्री किया जाना आवश्यक था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी समुचित कारण के यह अंकित कर दिया कि वादीगण की पंजीकृत संस्था द्वारा जिस बैचाननामा दिनांक 08.10.2007 को उपरोक्त भूमि खरीद की गई है एवं जिसके अनुसार नामान्तरण दर्ज किया गया है, वह सही है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नही है। समस्त दस्तावेजों से वादी संस्था का वाद स्पष्ट रूप से साबित होता है कि उपरोक्त वर्णित आराजी वादी संस्था की ओर से श्री सुरेश शर्मा पुत्र शिवजी शर्मा से खरीद की गई थी। जिसमें यह भी स्पष्ट रूप से अंकित किया गया था कि क्रेता के नाम में श्री राजस्थान चीता मेहरात (काठात) महासभा मुख्यालय ब्यावर (पंजीकृत संस्थान पंजीकरण संख्या 361/2001 दिनांक 09.07.2001) जरिये अधिकृत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का नाम अंकित किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 01 लगा0 04 की स्वयं की खरीदशुदा भूमि नही होकर संस्था की भूमि है परन्तु उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद खारिज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि विक्रय पत्र के अनुसार क्रेता पदाधिकारियों की संख्या 04 है तो दो पदाधिकारियों के नाम खातेदारी कैसे की जा सकती है। प्रकरण की मौजूदा परिस्थिति में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जब संस्था के सारे ही पदाधिकारियों ने सहमति जाहिर की है तो संबंधित उप पंजियक, पंजीयन कार्यालय में

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

चाराजोही की जाकर नियमानुसार कार्यवाही हेतु वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 लगा0 04 स्वतंत्र हैं। उपरोक्त कथन भी सरासर गलत अंकित किये है क्योंकि जव भूमि खरीदी ही वादी संस्था के नाम से है तो संबंधित उप पंजीयक कार्यालय में क्या चाराजोही हो सकती है। अर्थात उपरोक्त भूमि को केवल और केवल वादी संस्था के नाम दर्ज किया जाना आवश्यक था जो पूर्व में जरिये नामान्तरण संख्या 909 दिनांक 27.10.2007 के अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2061–64 में अमलदारामद किया गया। उसी अनुसार दर्ज किया जाना चाहिये था। किन्तु नई जमावन्दी कम्प्यूटराईज्ड बनाने पर जो गलती संबंधित कर्मचारियों द्वारा की गई है उसे ही दुरूस्त करना था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 ने अपना इकबाली जवाब प्रस्तुत कर उपरोक्त भूमि को वादी संस्था के नाम दर्ज किये जाने पर सहमति व्यक्त की। किन्तु उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद खारिज किया हैं। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 50/2023 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.08.2023 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने अपील जवाब/बहस में कथन किया कि वादी संस्था के वर्तमान पदाधिकारी श्री रमेश काठात अधयक्ष व इब्राहित काठात सचिव है। यह भी सही है कि हम प्रतिवादीगण में से प्रतिवादी संख्या 1 वादी संस्था का पूर्व अध्यक्ष था। प्रतिवादी संख्या 2 पूर्व उपाध्यक्ष व प्रतिवादी संख्या 3 पूर्व सचिव व प्रतिवादी संख्या 4 पूर्व कोषाध्यक्ष थे एवं हमारे कार्यकाल के दौरान वादग्रस्त आराजी बजरिए पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 8.10.2007 वादी संस्था के फण्ड से ही खरीद की गई थी। वादग्रस्त आराजी में हम प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का कोई व्यक्तिगत स्वत किसी भी प्रकार का नहीं है। वादग्रस्त आराजी वादी संस्था की आराजी है जिसमें हम प्रतिवादीगण का कोई निजी अधिकार किसी प्रकार का नहीं है इसलिए हमने न तो दुरूपयोग किया है व न ही भविष्य में दुरूपयोग करेंगे। अतः निवेदन है कि बमुजब अनुतोष दुरूस्ती की डिक्री पारित कर दी जावे।

9. हमने अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया वाद अवलोकन यह तथ्य दृष्टिगत होते हैं कि अपीलांट वादी संस्थान श्री राजस्थान चीता मेहरात काठात महासभा मु0 ब्यावर ने एक वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट के विरूद्ध पेश किया। उक्त प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.8.2023 को डिक्री किया गया। उक्त प्रकरण में वादी/अपीलांट जो कि संस्थान श्री राजस्थान चीता मेहरात काठात महासभा मु0 ब्यावर एक सामाजिक पंजीकृत संस्था है। जो उन्हीं के लोगों में से चुनाव द्वारा निर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा संचालित होती है और समय–समय पर चुनाव द्वारा संबंधित अधिकारी/पदाधिकारी बदलते रहते है। उक्त प्रकरण से संबंधित विवादित आराजीयात ग्राम सेंदरिया तहसील ब्यावर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1087/1/1 रकबा 01 बीघा एवं खसरा नम्बर 1087/1/2 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 1681/1087 रकबा 0.3642 है0, 1072 रकबा 1 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 1072 रकबा 0.0081 है0 स्थित है। उक्त आराजीयात को जरिए पंजीकृत दस्तावेज द्वारा दिनांक 8.10.2007 को संस्था की ओर से वर्तमान

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अजमेर

राजस्व अपील अधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 द्वारा विक्रेता श्री सुरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री शिवाजी शर्मा से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया था। उक्त विवादित आराजीयात का नामांतरण संख्या 909 दिनांक 27.10.2007 को संस्था श्री राजस्थान चीता मेहरात (काठात) महासभा, ब्यावर के नाम जरिए उनके पदाधिकारी प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम तस्दीक किया गया। इसी क्रम में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित आराजीयात से संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत किए है। **प्रदर्श–1** रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक 361 जयपुर/2021–2002 दिनांक 09.07.2001 की प्रति, **प्रदर्श–2** बेचाननामा दिनांक 08.10.2007 की प्रति, **प्रदर्श–3** ग्राम सेदरिया की जमाबंदी संवत् 2061–64 की प्रमाणित प्रति, **प्रदर्श–4** जमाबंदी संवत 2061–64 के खाता संख्या 238 में अंकित खसरा संख्या 1087/1/1 श्री मुकेश कुमार पुत्र नोरतमल कौम जेन बाबूल मेवाडी गेट के अंदर ब्यावर खातेदार दर्ज होना प्या गया जो जरिए बेचान नामांतकरण श्री सुरेश शर्मा पुत्र शिवाजी शर्मा तत्पश्चात् जरिए बेचान प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज होना पाया गया। **प्रदर्श–5** ग्राम सेदरिया की जमाबंदी संवत् 2072–75 के खाता संख्या 335 की प्रति है जिसमें अंकित खसरा संख्या 1072 रकबा 0.0081, 1681/1087 रकबा 0.3642 प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज होना पाया गया। उक्त विवादित आराजीयात बाबत वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा भी अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है कि उनका उक्त आराजीयात में किसी प्रकार का स्वतव निहित नहीं है अपितु उक्त आराजीयात श्री राजस्थान चीता मेहरात (काठात) महासभा, ब्यावर की ही है ना तो वर्तमान में ना ही भविष्य में हमारे द्वारा उक्त आराजीयात पर कभी हमारा व्यक्ति विशेष का कोई अधिकार नहीं है उक्त आराजीयात श्री राजस्थान चीता मेहरात (काठात) महासभा, ब्यावर की ही है। उक्त अपील से संबंधित राजस्थान चीता मेहरात(काठात) महासभा की विधान नियामावली भी पत्रावली पर उपलब्ध है जिसके अवलोकन के पश्चात श्री राजस्थान चीता मेहरात (काठात) महासभा, ब्यावर के अधिकारी व पदाधिकारी के संस्था बाबत क्या कर्तव्य है, उसका भी विधान नियमावली के **पृष्ठ संख्या 8** के बिंदु संख्या **20 कार्यकारिणी के अधिकार एवं कर्तव्य**– की पंक्ति संख्या 8 में वर्णित है कि महासभा के काम के लिए जमीन–जायदाद हासिल करना, खरीदना, निर्माण कार्य करवाना, किराए पर लेना व देना, **पृष्ठ संख्या 9** के **बिंदु संख्या 21 की पंक्ति 8 व 9** में वर्णित है– राजकीय स्तर पर, कोर्ट केस की स्थिति में महासभा का प्रतिनिधित्व करना व संविदा एवं अन्य दस्तावेजों पर दस्तखत करना। अतः उक्त समस्त दस्तावेजात से यह स्पष्ट होता है कि उक्त विवादित आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा श्री राजस्थान चीता मेहरात (काठात) महासभा, ब्यावर संस्थान के लिए ही व संस्था द्वारा दी गई धनराशि से क्रय की गई थी। पत्रावली पर उपलब्ध अंतिम चौसाला आधार संवत जमाबंदी 2072–2075 में वर्तमान रेस्पोडेंट्स संख्या 1 से 4 के नाम 1/4–1/4 हिस्सा त्रुटिवश अंकित किए जाने से उक्त त्रुटि का लाभ प्रतिवादीगण को नहीं दिया जा सकता क्योंकि उक्त आराजीयात किसी व्यक्ति विशेष की आराजीयात नहीं होकर केवल श्री राजस्थान चीता मेहरात (काठात) महासभा, ब्यावर की आराजीयात है तथा समय–समय पर उनके अधिकारी व पदाधिकारी चुनाव के माध्यम से निर्वाचित होकर उक्त संस्था को संचालित करते है व उक्त आराजीयात किसी भी दृष्टि में उनके अधिकारी व पदाधिकारी की निजी आराजीयात नहीं होकर श्री राजस्थान चीता मेहरात (काठात) महासभा, ब्यावर की आराजीयात है। अतः उक्त आराजीयात का राजस्व रिकार्ड में इंद्राज दुरूस्त किया जाकर वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 के नाम की जगह उक्त आराजीयात का इंद्राज श्री राजस्थान चीता मेहरात

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अजमेर

राजस्व अपील अधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

(काठात) महासभा, ब्यावर संस्थान के नाम किया जाए। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28.8.2023 में उक्त आराजीयात को वर्तमान रेस्पोडेंट 1 लगायत 4 की आराजीयात मान कर अपीलांट का वाद खारिज किया था जो कि उनके द्वारा किया गया निर्णय किसी भी दृष्टि से न्याय संगत नहीं है चूंकि उनके द्वारा निर्णय के दौरान पत्रावली पर समस्त दस्तावेजात उपलब्ध होने के बावजूद भी उनका सही रूप से अवलोकन उनके द्वारा नहीं किया गया। जिससे वर्तमान अपीलांट को उनके हक अधिकारों से वंचित किया गया जो कि न्याय की मंशा के विपरीत है।

उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य प्रतीत होती है व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में त्रुटि कारित की गई है अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है।

10. अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 50/2023 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.08.2023 को निरस्त किए जाने के आदेश दिए जाते है तथा तहसीलदार, ब्यावर को यह निर्देशित किया जाता है कि खाता संख्या 335 के खसरा नम्बर 1072 रकबा 0.0081 व खसरा नम्बर 1681/1087 रकबा 0.3642 को राजस्व रिकार्ड में वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4 का नाम हजफ करके उक्त खसरा नम्बरों को श्री राजस्थान चीता मेहरात (काठात) महासभा, ब्यावर के नाम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 09.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

09/4/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner